

8. विभाग में समितियों आदि की व्यवस्था:

यह एक राजकीय विभाग है। अतः यहां पर बोर्ड आफ मेम्बर्स अथवा कौन्सिल या समिति आदि नहीं है। दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली को सम्पन्न करने के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। जैसे क्रय समिति, आक्शन समिति, टेण्डर समिति आदि। समितियों की बैठक आवश्यकतानुसार की जाती है जिसमें जनता की सहभागिता की आवश्यकता नहीं है।